प्रेस नोट-

थाना सीपरी बाजार, जनपद-झाँसी

दिनांक- 21.11.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **चोरी गई 03 सोने की अंगूठी, 10,800/- रूपये व अवैध असलहा-कारतूस के साथ अन्तर्राज्यीय शातिर चोर गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुमार कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.11.2025 को समय करीब रात्रि 22:04 बजे उन्नाव बालाजी रोड पंचवटी रेलवे क्रासिंग के पास स्थित यात्री स्टैण्ड से अभियुक्त श्रीकेश उर्फ बल्ला उर्फ ऋषिकेश गुर्जर पुत्र रामचित्र निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली धौलपुर जिला चौलपुर (राजस्थान) उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 152/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी गई 03 सोने की अंगूठी व 10,800/- रूपये तथा 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 24.04.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर के अन्दर रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने के जेवरात, नगदी व वादी की लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0 152/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त दीपेन्द्र उर्फ दीपू गुर्जर पुत्र सुरेन्द्र उर्फ पप्पू गुर्जर निवासी लक्ष्मणगढ़ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश), जो उपजिलाकारागार निवाडी में निरूद्ध था, द्वारा अपने अभिकथन में अपने साथियों ऋषिकेश उर्फ़ श्रीकेश उर्फ बल्ला गुर्जर पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी ग्राम मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर जिला धौलपुर (राजस्थान) 2. रवि गुर्जर पुत्र भारत निवासी लक्ष्मणगढ़ थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करना बताया गया। जिस पर माननीय न्यायालय से प्राप्त रिमाण्ड के दौरान अभियुक्त दीपेन्द्र उपरोक्त के कब्जे चोरी किये गये माल में से लाईसेंसी रिवाल्वर व 10,000/- रूपये बरामद किया गया

तथा अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए धारा 305 बीएनएस को धारा 305ए बी0एन0एस0 में परिवर्तित किया गया। वांछित अभियुक्त ऋषिकेश उर्फ़ श्रीकेश उर्फ बल्ला गुर्जर उपरोक्त को आज गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गयी 03 सोने की अंगूठी व 10,800/- रुपये तथा 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 446/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारी का दिनाँक ,समय एवं स्थानः— दिनांक 20.11.2025 को समय करीब रात्रि 22.04 बजे, उन्नाव बालाजी रोड पंचवटी रेलवे क्रासिंग के पास स्थित यात्री स्टैण्ड थाना क्षेत्र सीपरी बाजार झांसी।

बरामदगी का विवरणः—

1. 03 सोने की अंगूठी व 10,800/- रूपये नगद
2. 01 देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्ता का विवरण - श्रीकेश उर्फ बल्ला उर्फ ऋषिकेश गुर्जर पुत्र रामचित्र निवासी ग्राम मोरौली थाना कोतवाली धौलपुर जिला चौलपुर राजस्थान उम्र 25

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार मिश्र, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
3. उ0नि0 श्री अनुराग शर्मा, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
4. उ0नि0 श्री राजकुमार, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
5. का0 98 धारा सिंह, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
6. का0 868 पंकज सिंह, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
7. का0 817 अनिल कुमार, थाना सीपरी बाजार, झाँसी
8. का0 896 पुष्पेन्द्र सिंह, थाना सीपरी बाजार, झाँसी